य उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

नामान्तरण / ग्राम पं०

25-3-19 वकील वादी उप.। वकील प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वास्ते बहस दि० 15-4-19 को पेश हो।

15-4-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब [illegible] कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अधि.उप. आयन्दा दिनांक 20-5-19 को पेश हो।

रीडर

20-5-19 वकील वादी उप.। वादी के वकील की बहस सुनी गई। दावा वादी डिग्री किया जाता है। निर्णय टंकित कराया जाकर पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली बैसल हुक्म होकर दाखिल रिकार्ड हो सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
===

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
77	14-6-16	20-5-19

उनवान
=======

1- रामप्रताप पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- ग्राम पंचायत धमूकड पं.स. किशनगढ़-बास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धमूकड तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:- 1- श्री बालकृष्ण वकील वादी की ओर से ।
2- प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-

वादी ने अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट वाद पेश कर निवेदन किया कि हाल आ.ख.नं. 142/0.05 में से 1/2 भाग ग्राम खोजाका तहसील किशनगढ़-बास व ख.नं.02/0.83 सालिम वाके धमूकड का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी पेश है। उक्त विवादित आराजी मिन वादी की खातेदारी की है जिससे प्रतिवादी ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी खिलाफ कानून व बिला अधिकार मिन वादी की उपरोक्त आराजीयात में से सडक निमार्ण करने पर आमादा है।

पूर्व में बाई से चांवण्डी गांव को सडक बनाई हुई है तथा धमूकड गांव से जो रोड जा रहा है उस धमूकड रोड से खोजावास गांव को जोडने के लिए प्रतिवादी ग्राम पंचायत के द्वारा सडक का निर्माण किया जा रहा है, वो उक्त सडक को प्रतिवादी मिन वादी की खातेदारी की आराजी में से जबरन निकालना चाह रहा है। जो राजनैतिक दबाव के कारण वो दूसरे लोगों को लाभ पहुचाने की नियत से व चुनावी रंजिश के कारण कानून के खिलाफ निर्माण किया जा रहा है। जबकि सडक निर्माण के लिए सरकारी रास्ता मौजूद है सडक उस रास्ते से निकाली जा सकती है । इसलिए वादी प्रति0

Scanned by CamScanner

को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात बाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

{अ} यह कि बजरिये हुक्म इमतनाई दवामी प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी ख.नं. 142/0.05 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम खोजाका व ख.नं. 02/0.83 वाके ग्राम धमूक्क तहसील किशनगढ़-बास का कोई रकबा जुज दबा कर जबरन सड़क का निर्माण नहीं करें, ना ही खोदी, भरती, आदि डाले ना वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे, डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति० पारित की जावे ।

{ब} खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

{स} दीगर दादरसी जो बनजरीये अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे ।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू 1, व गवाह श्री इदरीश पुत्र इब्राहिम मेव निवासी धमूक्क पी.डब्लू 2 का शपथ पत्र पेश किया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2069-72 प्रदर्श 1, नकल नोटिस प्रदर्श 2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सं. 2069-72 प्रदर्श 4 व नकल मसावी भू-प्रबन्ध प्रदर्श 5 पेश किये है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आराजी हमारी खातेदारी कब्जे काश्त की है। ग्राम पंचायत जबरन हमारे खेत में से सड़क निर्माण करना चाहती है जबकि सरकारी रास्ता अलग से है उसमें सड़क नहीं बना रहे है। हमारी खातेदारी भूमि में से सड़क बनाने का ग्राम पंचायत को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वह हमारे खेत में से कोई सड़क नहीं निकाले। दावे की पुष्टि में राजस्व रिकार्ड पेश किया है तथा गांव का एक गवाह पेश किया है। दावा डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं. 2069-72 प्रदर्श 1 ग्राम खोजाका के अवलोकन से साबित है कि आ.ख.नं. 142/0.05 के 1/2 भाग का वादी खातेदार है तथा 1/2 भाग का जगदीश वादी का भाई खातेदार है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 प्रदर्श 1 ग्राम धमूक्क से साबित है कि ख.नं. 2/0.83 सम्पूर्ण वादी

Scanned by CamScanner

की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी के अनुसार ख. नं. 58/0.18 गैर मुमकीन रास्ता है जिसका नक्शा ट्रेस भी वादी द्वारा पेश किया हुवा है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मसावी ग्राम खोजाका से भी यह तथ्य साबित है कि ग्राम खोजाका से धमूकड़ को जाने हेतु सरकार रास्ता दर्शित किया हुवा है।

चूँकि प्रतिवादी ने वादी के वाद का कोई प्रतिरोध नहीं किया है और वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य से वादी का वाद बाखूबी साबित होता है। वाद वादी डिक्री किया जाना कानून संगत वो न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश हैं कि:-

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट एकपक्षीय डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की आ. ख. नं. 142/0.05 में से 1/2 भाग वाके खोजाका व आ. ख. नं. 02/0.83 वाके धमूकड़ तहसील किशनगढ़-बास का कोई जुज रकबा दबाकर सड़क निर्माण नहीं करे, ना जबरन रोडी बजरी आदि डाले, ना वादी की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करें। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{सुरेन्द्र प्रसाद}
उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास {अलवर}

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

नं.

प्रवेश तिथि
14.6.16

निर्णय दिनांक
20.5.19

उनवान

मं प्रताप पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर

:–वादी:–

बनाम

ाम पंचायत धमूकड पं0 स0 किशनगढबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धमूकड तहसील किशनगढबास

:–प्रतिवादी:–

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति:–1. श्री बालकृष्ण वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिकी

19

:

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट एकपक्षीय डिकी जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की आ0ख0न0 0.05 में से 1/2 भाग वाके खोजाका व आ0ख0न0 02/0.83 वाके ग्राम धमूकड तहसील गढबास का कोई जुज रकबा दबाकर सडक निर्माण नहीं करे, ना जब्रन रोडी, बजरी आदि ना वादी की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करें। खर्चा वादी स्वयं वहन ा।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner